संख्याः– 782 /XXVII (1)/2009

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 24 नवम्बर,2009

विषयः–12वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर वर्ष 2006–07 में देय अनुदान पर जिला पंचायतों को देय ब्याज का भुगतान।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2006–07 में अवमुक्त अनुदान पर देय ब्याज की कुल धनराशि रू0 482227.00 (रू0 चार लाख बयासी हजार दो सौ सताईस मात्र) को संलग्नक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नही की जा सकेगी।

1– 12वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से परिसम्पत्तियों के निर्माण के साथ–साथ स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पेयजल योजनाओं का पंचायतों द्वारा जनसहभागिता के आधार पर अनुरक्षण किया जाये और उनका संचालन किया जाये।

2– जिला पंचायतों द्वारा अन्तर क्षेत्र पंचायतीय पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण, पथ प्रकाश की व्यवस्था तथा उन्हें प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में आवर्ती लागत व्यय का 50 प्रतिशत हिस्सा वसूल करना चाहिए।

3–संक्रमित धनराशि से विकास सम्बंधी निर्माण कार्य कराए जा सकेंगे। 12वॉ वित्त आयोग ने अपेक्षा की है कि पंचायती राज संस्थाओं को इस धनराशि का उपयोग सेवाएं प्रदान करने हेतु किया जाना चाहिए, जैसे–जलापूर्ति तथा स्वच्छता। पंचायतों को स्वजलाधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

4–संक्रमित धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2010 तक किया जाना है। इसके बाद उपयोग अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

5– कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6–संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

7– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

9– उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि संलग्न प्रारूप पर) भी भेजना होगा।

10– संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें– 196–जिला पंचायतें/परिषदें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें– 0102–बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव,वित्त

संख्या 782 /(**XXVII (1)**/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकता हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्याः–792 /**XXVII(1)/2009** दिनांकः24 नवम्बर,2009 का संलग्नक

12वॉं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत जिला पंचायतों को देय अनुदान पर अर्जित ब्याज का वितरण।

क्र0सं0	जिला पंचायत	देय धनराशि (रू0 में)
1	*2*	*3*
1	अल्मोड़ा	41000
2	बागेश्वर	15227
3	चमोली	34000
4	चम्पावत	12000
5	देहरादून	40000
6	हरिद्वार	55000
7	नैनीताल	27000
8	पौड़ी गढ़वाल	100000
9	पिथौरागढ़	35000
10	रुद्रप्रयाग	15000
11	टिहरी गढ़वाल	40000
12	उतरकाशी	27000
13	ऊधमसिंह नगर	41000
	योग	**482227**

(रू0 चार लाख बयासी हजार दो सौ सताईस मात्र)

(डा0एम0 सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त

C:\SFC\Share of sfc\ZP kisnode-4